न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–03/2011–12

नवल किशोर सिंह बनाम पुष्पा देवी

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16/5/18	**आदेश** आवेदक श्री नवल किशोर सिंह, पिता स्व0 दुखन सिंह, ग्राम–बेलपुरा, थाना–पुनपुन, जिला–पटना के द्वारा यह वाद जमाबंदी रद्द वाद सं0 01/2011–12 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 08.12.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षी पुष्पा देवी, पति नागेन्द्र सिंह, पिता स्व0 हरेन्द्र प्रसाद, ग्राम–पारथु, थाना–पुनपुन, जिला–पटना को नोटिस निर्गत की गयी। विपक्षी के द्वारा दिनांक 17.09.2017 को वकालतनामा दायर किया गया तथा दिनांक 18.06.2014 को अपना लिखित प्रतिउत्तर दायर किया गया। दिनांक 16.04.2016 से विपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण आज एक पक्षीय सुनवाई कर आदेश पारित किया जा रहा है। **आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि** (1) हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा को फुलवारीशरीफ अंचल अंतर्गत मौजा–दशरथा, खाता नं0 137, खेसरा नं0 302 में $10\frac{1}{2}$डी0 भूखण्ड आपसी बंटवारा में प्राप्त हुई थी। (2) हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा उक्त $10\frac{1}{2}$डी0 भूखण्ड में से एक कट्ठा भूखण्ड अपनी छोटी पुत्री मधु सिन्हा को 12.04.1990 के बख्शीशनामा से लिख दिया गया। मधु सिन्हा के द्वारा दान स्वीकार किया गया। मधु सिन्हा प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल में आयी तथा उनके नाम से दाखिल खारिज होकर जमाबंदी कायम की गयी। (3) मधु सिन्हा का विवाह आवेदक नवल किशोर सिंह से हुआ। कुछ दिनों के बाद मधु सिन्हा की निःसंतान मृत्यु हो गयी। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत पत्नी की मृत्यु के उपरान्त उसकी सम्पति पर पति यानी आवेदक नवल किशोर सिंह दखल में आये। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{2722}{7}$ वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत आवेदक के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड एक कट्ठा की जमाबंदी कायम की गयी। (4) मधु सिन्हा की मृत्यु के उपरान्त एक श्री दयानंद सिंह के द्वारा आवेदक पर प्राथमिकी दर्ज की गयी। फौजदारी वाद सं0 12/1992 न्यायालय में लम्बित है। (5) पुष्पा देवी (विपक्षी) के द्वारा आवेदक के नाम से प्रश्नगत भूखण्ड के रद्द करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद सं0 01/2011–12 दायर किया गया। भूमि सुधार उप	

समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में पुष्पा देवी के द्वारा कहा गया कि हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा को तीन पुत्र एवं चार पुत्रियाँ थी। खेसरा सं0 302 रकवा एक कठ्ठा हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा अपनी पुत्री मधु सिन्हा को दान में दिया गया था। आवेदक के द्वारा मधु सिन्हा की हत्या कर दी गयी, जिसके लिए आवेदक के विरूद्ध मुकदमा चल रहा है। इस स्थिति में आवेदक का प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई दावा नहीं बनता है, बल्कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा–15 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूखण्ड दानकर्ता को वापस हो जायेगी।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–15 का हवाला देते हुए आवेदक की जमाबंदी रद्द कर दी गयी, जबकि पत्नी की निःसंतान मृत्यु होने की स्थिति में पत्नी की सम्पति पर पति का अधिकार होता है।

(7) आवेदक के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0 01/2011–12 में पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण एवं अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है :

(1) दिनांक 12.04.1990 का बख्शीशनामा

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{2722}{7}$ वर्ष 2010–11 का आदेश

(3) आवेदक नवल किशोर सिंह के नाम पर प्रश्नगत भूखण्ड एक कठ्ठा के लिए निर्गत वर्ष 2011–12 की लगान रसीद

विपक्षी के द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि

(1) प्रश्नगत भूखण्ड हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा अपनी छोटी बेटी मधु सिन्हा को बख्शीश दिया गया था। उस समय मधु सिन्हा अविवाहित थी।

(2) मधु सिन्हा का विवाह नवल किशोर सिंह (आवेदक) से हुआ। आवेदक एवं उनके परिवार के लोगों ने मिलकर मधु सिन्हा की हत्या कर दी, जिसके लिए न्यायालय में वाद सं0 12/1992 चल रहा है।

(3) मधु सिन्हा की मृत्यु निःसंतान हो गयी। नियमतः मधु सिन्हा को जो सम्पति उनके माता पिता से प्राप्त हुयी थी, वह माता पिता को ही लौट जायेगी। प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक का कोई दावा नहीं बनता है।

(4) आवेदक ने तथ्यों को छुपाकर प्रश्नगत भूखण्ड को जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा ली थी। इसकी जानकारी मिलने पर विपक्षी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद सं0 01/2011–12 दायर किया गया, भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा नियम सम्मत आदेश पारित किया गया है।

(5) आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के लिए व्यवहार न्यायालय, पटना में टाईटिल सूट सं0 16/2012 भी दायर किया गया है।

(6) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के आदेश को विधि सम्मत बताते हुए दायर आवेदन रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0 01/2011–12 में दिनांक 08.12.2011 को पारित आदेश का अवलोकन किया।

(1) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा हिन्दु

उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 की धारा–15 की उप धारा 2(ए) के अन्तर्गत यह मंतव्य दिया गया है कि मधु सिन्हा की मृत्यु निःसंतान अवस्था में हो गयी थी, अतः उन्हें अपने पिता से प्राप्त सम्पति पर पुनः उनके पिता का ही अधिकार होगा, उनके पति का नही।

(2) प्रश्नगत भूखण्ड पर आवेदक नवल किशोर सिंह का दखल कब्जा भी नहीं है।

(3) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–15(2)(ए) के प्रावधान एवं प्रश्नगत भूखण्ड पर दखल कब्जा नहीं रहने की स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा आवेदक नवल किशोर सिंह के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करते हुए उक्त एराजी एक कठ्ठा को पुनः हरेन्द्र प्रसाद सिन्हा की जमाबंदी पर दर्ज करने का आदेश अंचलाधिकारी, फुलवारीशरीफ को दिया गया।

(4) भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा यह मंतव्य भी दिया गया कि प्रभावित पक्ष चाहें तो सक्षम व्यवहार न्यायालय से स्वत्व संबंधी निर्णय प्राप्त कर सकते हैं।

(5) विपक्षी के द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर व्यवहार न्यायालय, पटना से स्वत्व वाद सं0 16/2012 दायर किया गया है। प्रतिउत्तर की प्रति आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त है। आवेदक के द्वारा स्वत्व वाद दायर किये जाने की बात को नकारा नहीं गया है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जमाबंदी रद्द वाद सं0 01/2011–12 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर के द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत है। इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के लिए स्वत्व वाद दायर किया गया है। आवेदक व्यवहार न्यायालय से न्याय निर्णय प्राप्त करें।

लेखापित एवं संशोधित।

6.5.13

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना

6.5.13

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्ता, पटना